इकाई 4 समुन्नयन कार्य

इकाई की रूपरेखा

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 समुन्नयन कार्य का महत्व
4.4 हिन्दी साहित्य का क्रमिक विकास
  4.4.1 आदिकाल (1000 से 1400 ई. तक)
  4.4.2 भक्तिकाल (1400 से 1700 ई. तक)
  4.4.3 रीतिकाल (1700 से 1850 ई. तक)
  4.4.4 आधुनिक काल (1850 ई. से .....)
4.5 हिन्दी साहित्य में प्रयुक्त कुछ प्रमुख अन्त:कथाएं
4.6 रंगमंचोपयोगी एकांकी
4.7 समभावी कविताओं का संकलन
4.8 पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ
4.9 शब्द भंडार वृद्धि के लिए शब्द सूची
  4.9.1 उपसर्ग
  4.9.2 प्रत्यय
  4.9.3 सन्धि
  4.9.4 समास
4.10 शब्दकोश तथा अन्य संदर्भ ग्रंथों से अपेक्षित सामग्री ढूंढने का कौशल
4.11 सारांश
4.12 बोध प्रश्नों के उत्तर
4.13 उपयोगी पुस्तकें

4.1 प्रस्तावना

यह इकाई हिन्दी शिक्षण प्रविधि के खण्ड 4 की चतुर्थ इकाई है। इस इकाई में आप हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्ययन से संबंधित समुन्नयन कार्य का अध्ययन करेंगे।

भाषा एक ऐसा विषय है जिसमें ज्ञान तथा कौशल दोनों ही का महत्व होता है। शिक्षक को शिक्षार्थियों में ज्ञान तथा कौशल दोनों से संबंधित योग्यताओं के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहना होता है। भाषा के पाठ अपनी विषयवस्तु की दृष्टि से अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित होते हैं और पाठ-शिक्षण के समय पाठों में निहित विषय विशेष से संबंधित तथ्यों, संदर्भों आदि को स्पष्ट करने के लिए शिक्षार्थियों को तत्सम्बन्धी जानकारी की अपेक्षा होती है। उदाहरण के लिए पाठ में यदि कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक या पौराणिक, सांस्कृतिक संदर्भ हो अथवा किसी दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ महान व्यक्ति से संबंधित घटना का उल्लेख हो तो उसके संबंध में शिक्षार्थियों को जानकारी देंना आवश्यक हो जाता है। यह भी हो सकता है कि शिक्षार्थियों को उससे संबंधित सामग्री का अध्ययन करने के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता हो। इसी प्रकार किसी साहित्यकार की रचना पढ़ाते समय उसकी समकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों, उसके जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का भी दिग्दर्शन आवश्यक हो जाता है। इन सभी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि शिक्षक के पास स्वयं भी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध हो। भाषा पाठों की बहुआयामी प्रकृति के कारण ये जानकारी एक साथ किसी एक स्रोत से नहीं मिल सकती। उसे विविध स्रोतों से प्राप्त करना पड़ता हैं। प्रस्तुत इकाई में इस प्रकार की जानकारी का एक साथ संयोजन करने का प्रयत्न किया गया है।

भाषिक एवं साहित्यिक योग्यता विस्तार तथा संवर्द्धन के लिए भाषा शिक्षण-प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को जो अतिरिक्त अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है, जो विविध प्रयोग, अभ्यास तथा कार्यकलाप कराए जाते हैं, उन्हें समुन्नयन कार्य की संज्ञा दी जाती है।

समुन्नयन कार्य का तात्पर्य है - कक्षा-शिक्षण के माध्यम से शिक्षार्थियों द्वारा संप्राप्त भाषिक एवं साहित्यिक योग्यताओं के संवर्द्धन तथा विस्तार की दृष्टि से आयोजित पाठ संबंधित तथा पाठेतर अध्ययन, प्रयोग और अभ्यास सम्बन्धी क्रियाकलाप। ये कार्यक्रम शैक्षिक तथा सहशैक्षिक अर्थात् साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार के हो सकते हैं।

आप इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि किसी भी साहित्यिक पाठ के शिक्षण में मुख्यत: भाषिक पक्ष एवं साहित्यिक पक्ष द्रष्टव्य होते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में विचारात्मक तथा भावात्मक पक्ष प्रमुख होते हैं। ये दोनों पक्ष परस्पर सम्बद्ध तथा अविच्छिन्न हैं। माध्यमिक स्तर पर कविता, निबन्ध, कहानी, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, एकांकी आदि साहित्यिक पाठ भाषिक तत्वों की शिक्षा के आधार तथा माध्यम होते हैं। वस्तुत: भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का ललित और कलात्मक प्रयोग ही साहित्य कहलाता है। मातृभाषा शिक्षण में माध्यमिक स्तर से ही भाषा का साहित्यिक रूप उभरने लगता है तथा उसमें धीरे धीरे सूक्ष्मता, चित्रात्मकता और व्यंजकता बढ़ती जाती है। भाषा शिक्षक से यह अपेक्षा होती है कि वह माध्यमिक स्तर पर भाषिक तथा साहित्यिक दोनों ही पक्षों के लिए समुन्नयन कार्य की योजना बनाए तथा उसको कुशलतापूर्वक सम्पन्न करे। इस इकाई में हम कुछ ऐसे ही समुन्नयन कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं।

निस्सन्देह समुन्नयन कार्यों की सूची विस्तृत हो सकती है क्योंकि भाषिक तत्वों और साहित्य के विभिन्न अंग, भेदों एवं उनके उपभेदों की संख्या विशाल है। प्रस्तुत इकाई में उदाहरण के लिए कतिपय समुन्नयन कार्यों का संकेत दिया गया है। आप कक्षा स्तर के अनुकूल शिक्षार्थियों के समुन्नयन के लिए इस प्रकार के कार्यों को अपना सकते हैं।

आप इन समुन्नयन कार्यों को केवल संकेत और दिशा निर्देश के रूप में स्वीकार करें। अच्छा होगा कि आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया में समाहित विविध भाषिक तथा साहित्यिक शिक्षण बिन्दुओं के आधार पर उपयुक्त समुन्नयन कार्यों की परिकल्पना करें और इन कार्यों का उपयोग शिक्षार्थियों के भाषिक तथा साहित्यिक विकास के लिए करें।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- भाषिक एवं साहित्यिक योग्यताओं के विकास में समुन्नयन कार्यों का महत्व बता सकेंगे।
- भाषिक तत्वों के ज्ञान, भाषिक कौशलों के विकास तथा साहित्यकारों की कृतियों के अध्ययन से संबंधित योग्यताओं के विकास के लिए उपयुक्त समुन्नयन कार्य की योजना बना सकेंगे तथा शिक्षण में उसका यथोचित उपयोग कर सकेंगे।
- हिन्दी साहित्य के विकास क्रम को समझते हुए विभिन्न कालों की सामान्य साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कर सकेंगे।
- पाठ में निहित अंत:कथाओं का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
- साहित्यिक तथा भाषिक योग्यता विस्तार की दृष्टि से भाषिक तत्वों के ज्ञान की उपयोगिता का महत्व समझा सकेंगे।
- शिक्षार्थियों को अतिरिक्त सामग्री के अध्ययन के लिए प्रेरित कर सकेंगे।

4.3 समुन्नयन कार्य का महत्व

भाषा मूलत: व्यवहार, प्रयोग और क्रिया है। केवल व्याकरणिक ज्ञान से भाषा पर अधिकार नहीं हो पाता, उसके प्रयोग, व्यवहार और क्रियात्मक रूप के अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार साहित्य शास्त्र के सिद्धांत, साहित्य के विविध रूप, छंद, रस, अलंकार आदि के ज्ञान मात्र से साहित्य सृजन या रचना का कार्य नहीं हो सकता, जब तक लिखित रचना के विभिन्न रूपों में लिखने का अभ्यास नहीं किया जाता। अत: सिद्धांत, नियम और ज्ञान को व्यवहार, प्रयोग और क्रिया रूप में परिणत करने के लिए शिक्षार्थियों से भाषिक और साहित्यिक अध्ययन, प्रयोग और अभ्यास संबंधी कार्य कराना आवश्यक होता है। "भाषिक तत्वों के ज्ञान" के प्रकरण में आप मानक हिन्दी के उच्चारण, वर्तनी, शब्द रचना, शब्द प्रयोग, वाक्य रचना आदि से संबंधित कुछ समुन्नयन कार्यों की झलक पा चुके हैं। इससे समुन्नयन कार्य का महत्व स्वत: स्पष्ट हो जाता है।

भाषा कौशलों में एक प्रमुख कौशल है - बोलना। यदि शिशु शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ है, उसकी ज्ञानेंद्रियाँ ठीक काम कर रही हैं, तो वह श्रवण और अनुकरण की प्रकृति प्रदत्त शक्ति द्वारा अपनी भाषा में बोलना सहज ही सीख लेता है। चार पांच वर्ष का बालक अपनी बात सहज ही बोलकर प्रकट कर लेता है और दूसरों द्वारा कही हुई बात को समझ लेता है। किन्तु बोलना यही नहीं है, उसका स्तर धीरे-धीरे ऊंचा होता जाता है और इसके लिए विधिवत शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। किस अवसर पर किस प्रकार बोलें, किस भाषा का प्रयोग करें, इसके लिए सचेत प्रयास भी करना पड़ता है। साधारण बातचीत से लेकर उच्चकोटि की वक्तृत्व कला की दक्षता इसके अंतर्गत शामिल है। इस उच्च स्तर तक बोलने की दक्षता प्रदान करने के लिए शिक्षक को अनेक प्रकार के समुन्नयन कार्यों का सहारा लेना पड़ता है।

मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता के विकास में भी समुन्नयन कार्य का विशेष महत्व है। मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकरण में आपने पढ़ा है कि वार्तालाप, चित्रों पर आधारित कथा-वर्णन, घटना-वर्णन, दृश्य-वर्णन, वाचन, कथोपकथन, परिसंवाद, भाषण, वाद-विवाद आदि के द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता विकसित की जा सकती है। इस दृष्टि से शिक्षार्थियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना होता है, अच्छे वार्तालाप, भाषण, कविता वाचन आदि के रेकार्ड सुनाए जाते हैं, उन्हें विषय सामग्री के चयन संयोजन और प्रस्तुतीकरण की विधि से परिचित कराया जाता है। पूर्वाभ्यास द्वारा उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जाता है। इसी प्रकार लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की दक्षता बढ़ाने में समुन्नयन कार्यों का महत्व विशेष रूप से परिलक्षित होता है। माध्यमिक स्तर पर पत्र-प्रपत्र से लेकर घटना, दृश्य-वर्णन, व्याख्या, सार-लेखन, संवाद, जीवनी आदि लिखने की शैलियों का विकास किया जाता है। कक्षा में दी हुई रूपरेखा के आधार पर कहानी, निबंध लिखने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। रचना संबंधी इन विविध क्रियाकलापों में समुन्नयन कार्य उपयोगी सिद्ध होते हैं, इस दृष्टि से आप महापुरुषों और साहित्यकारों के पत्र व्यवहार और उसकी शैलियों से शिक्षार्थियों को परिचित कराएं, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, एकांकी आदि विधाओं की विशेषताओं और शैलियों की सामान्य जानकारी दें और तत्संबंधी सरल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षार्थियों को पुस्तक पढ़कर सामग्री चयन करने, नोट लेने और उस सामग्री को अपनी भाषा में लिखने के लिए कहें। किसी संवादात्मक पाठ या एकांकी को कहानी के रूप में अथवा कहानी को संवाद के रूप में लिखने का कार्य भी दिया जा सकता है।

शिक्षक के पास कक्षा स्तर के अनुकूल ऐसी रचनाओं का संकलन होना चाहिए अथवा विद्यालय के पुस्तकालय में सुलभ होना चाहिए जिन्हें पढ़कर शिक्षार्थी उन पर चर्चा करें और अपनी लिखित रचनाओं में उनका उपयोग करें।

लिखित रचना की दक्षता बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों के सम्मुख आदर्श रचनाओं के उदाहरण बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। समुन्नयन कार्य की यह एक अच्छी विधि है। शिक्षार्थी उनसे प्रेरित होकर लिखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं से रचना संबंधी अच्छे उदाहरण संकलित करने के लिए भी शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस प्रकार के समुन्नयन कार्य से शिक्षार्थी केवल कक्षा में दी गई रचना को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए ही प्रयास नहीं करते, अपितु स्वतंत्र रूप से मौलिक रचना करने की दिशा में भी अग्रसर होते हैं।

पठन कौशल की दक्षता साहित्यानुशीलन का आधार है। वस्तुत: भाषिक कौशलों में बौद्धिक और मानसिक विकास की दृष्टि से पठन कौशल का सर्वाधिक महत्व है। आजीवन अध्ययन की वह आधारशिला है। पठन कौशल के समुन्नयन से ही साहित्यिक सौंदर्य तत्वों का बोध, सराहना, रसानुभूति, विवेचन और विश्लेषण संभव हैं। अन्य भाषिक कौशलों - सुनकर समझने, बोलने और लिखने की दक्षता के विकास में भी पठन कौशल का विशेष योगदान रहता है। हम जितना ही अधिक पढ़ते है उतना ही अधिक हमारा ज्ञान बढ़ता है और उस आधार पर हम उतना ही अच्छा बोलते और लिखते हैं। अत: पठन दक्षता के विकास के लिए हमें तत्संबंधी समुन्नयन कार्यों के उपयोग पर विशेष बल देना चाहिए।

माध्यमिक स्तर पर आते-आते शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने सस्वर वाचन संबंधी दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं और अब उन्हें मौन पठन द्वारा तीव्र गति से तत्काल अर्थग्रहण की दक्षता का अधिकाधिक विकास करना है। अर्थग्रहण में केवल तथ्यों और विचारों का ही बोध नहीं, अपितु साहित्यिक सौंदर्य तत्वों का बोध, उनकी सराहना, पठित अंश में निहित जीवन मूल्य और संदेश को भी समझना है। साथ ही भाषा शैली की विशेषताओं को भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार की योग्यता के विकास के लिए उनसे अनेक कार्य कराए जा सकते हैं। पठन-कौशल के प्रकरण में आपने ऐसे उपायों के संबंध में पढ़ा है। फिर भी सांकेतिक रूप से कुछ कार्यों का उल्लेख किया जा रहा है -

- अर्थग्रहण के साथ द्रुत गति से पढ़ने के लिए विविध अभ्यास।
- किसी विशेष संदर्भ से संबंधित सामग्री का चयन, उसके लिए पुस्तकालय से उपयोगी पुस्तक ढूंढना और उसमें से अपेक्षित अंश देखकर नोट करना।
- पाठ्य पुस्तक के दिए गए पाठों के लेखकों, साहित्यकारों की जीवनी तथा उनकी अन्य कृतियों की यथासंभव सामान्य जानकारी।
- पाठ्य पुस्तक के पाठों की विधागत विशेषताओं की सामान्य जानकारी के लिए आवश्यक सामग्री का अध्ययन।
- मनोविनोद के लिए पठन सामग्री - ललित गद्यांश, अन्य प्रेरणाप्रद गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना और शिक्षक के निर्देशन में उन पर चर्चा करना।
- आवश्यकतानुसार शब्दकोश और संदर्भ पुस्तकों से सामग्री की जानकारी प्राप्त करने का अभ्यास।
- पत्र-पत्रिकाओं से अभीष्ट सामग्री का चयन।

इस प्रकार के समुन्नयन कार्य शिक्षार्थियों की पठन रुचि के विस्तार तथा पठन कौशल को विकसित करने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। यही नहीं, अपितु वे उन्हें अधिकाधिक पठन के लिए प्रेरित करते हैं। पठन के प्रति अनुराग के संबंध में जॉन काटना डैना की निम्नलिखित उक्ति बहुत ही प्रेरक है -

"पढ़ो, पढ़ो, कुछ और पढ़ो, प्रत्येक विषय के संबंध में पढ़ो, मनोरंजक सामग्री पढ़ो, तुम्हें जो रुचिकर हो उसे पढ़ो, पढ़ो और पठित सामग्री के संबंध में चर्चा करो, कुछ सामग्री सावधानी से पढ़ो, अधिकतर सामग्री सरसरी रूप से पढ़ो, पढ़ने के विषय में झिझक मत करो, बस पढ़ो।''

अत: समुन्नयन कार्य द्वारा शिक्षार्थियों की पठन-दक्षता के विकास का प्रयास करना चाहिए और उनके अध्ययनार्थ उपयोगी पठन-सामग्री सुझानी चाहिए जिससे उनकी पठन-रुचि का विकास हो और पढ़ना उनका व्यसन बन जाए।

इस इकाई में समुन्नयन कार्य की दृष्टि से शिक्षार्थियों के अध्ययनार्थ कुछ सामग्री सुझाई गई है। इस अध्ययन से पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में योग्यता के साथ-साथ पठन के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। आप भी इस प्रकार के अन्य समुन्नयन कार्यों के बारे में सोचें और भाषा-शिक्षण में यथाप्रसंग उनका उपयोग करें।

बोध प्रश्न

1. आप के [illegible] साहित्यिक [illegible] की अवधारणा के लिए समुन्नयन कार्य का क्या महत्व है? चार पंक्तियों में लिखें।

.....

.....

.....

.....

4.4 हिन्दी साहित्य का क्रमिक विकास

"साहित्य समाज का दर्पण है", "साहित्य जन चित्तवृत्ति का इतिहास है", "साहित्य में उस युग का सत्य अभिव्यंजित होता है", ये कथन आपने पढ़े और सुने होंगे। ये इस बात के द्योतक हैं कि साहित्यकार की रचना में उसके युग के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन तथा समस्याओं की झलक मिलती है और तत्कालीन सामान्य साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा प्रचलित भाषा और शैली का परिचय भी मिलता है। अत: किसी भी साहित्यकार की कृति को पढ़ाते समय उसके समय की सामान्य साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय आवश्यक हो जाता है, तभी हम उस कृति का सही अध्ययन कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं।

यह प्रकरण समुन्नयन कार्य का एक उदाहरण मात्र हैं। वस्तुत: इसे शिक्षार्थियों की साहित्यिक योग्यता के विस्तार की दृष्टि से कई समुन्नयन कार्यों में बांट सकते हैं, जैसे -

- कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान की कविताओं की पढ़ाते समय "भक्तिकालीन हिन्दी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों का परिचय" संबंधी समुन्नयन कार्य।
- बिहारी, भूषण, पद्माकर आदि की कविताओं को पढ़ाते समय "रीतिकालीन हिन्दी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों का परिचय" संबंधी समुन्नयन कार्य।
- आधुनिक हिन्दी साहित्य के संबंध में हमें यह ध्यान में रखना होगा कि आधुनिक हिन्दी साहित्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इस युग में कविता के साथ-साथ गद्य साहित्य का बहुत विस्तार और विकास हुआ। गद्य की अनेकानेक विधाएं विकसित हुईं। अत: इसे पढ़ाते समय आप आवश्यकतानुसार कई समुन्नयन कार्यों का अवलंबन कर सकते हैं, जैसे -
  - आधुनिक युग की कविता की सामान्य प्रवृत्तियों का परिचय
  - आधुनिक युग में निबंध, ललित निबंध, व्यंग्य विनोद, यात्रावृत्तांत आदि विधाओं का विकास
  - आधुनिक युग में जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण विधाओं का विकास
  - कहानी, उपन्यास, एकांकी एवं नाटक की विकासात्मक प्रवृत्तियों का परिचय

यह आवश्यक नहीं कि उपर्युक्त सभी विधाओं को लिया जाए। पाठ्य पुस्तक में आए हुए पाठों के आधार पर ही समुन्नयन कार्यों की योजना बनाना समीचीन होगा। जो विधाएं पाठ्य पुस्तक में नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है।

यहाँ विभिन्न कालीन हिन्दी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों का सुसंबद्धता और समग्रता की दृष्टि से अतिसंक्षेप में परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है और आप से यह अपेक्षा है कि इस आधार पर आवश्यकतानुसार समुन्नयन कार्यों का उपयोग करें।

हिन्दी साहित्य के विकास को ऐतिहासिक दृष्टि से चार कालों में बांटा जाता है -

- आदिकाल (वीरगाथा काल) सन् 1000 से 1400 ई. तक

- भक्तिकाल (पूर्व मध्य काल) सन् 1400 से 1700 ई. तक
- रीतिकाल (उत्तर मध्य काल) सन् 1700 से 1850 ई. तक
- आधुनिक काल सन् 1850 से .....

4.4.1 आदिकाल (वीरगाथा काल) (1000 से 1400 ई. तक)

सन् 1000 के आसपास से हिन्दी साहित्य का आरंभ माना जाता है। आदिकाल में कोई विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। हिन्दी भाषा का भी कोई स्वरूप निखर कर सामने नहीं आया था। इस काल में स्वयंभू, प्रबंधदत, हेमचंद्र आदि जैन कवियों की रचनाएं अपभ्रंश भाषा में हैं, पर साथ ही जन साधारण की बोली में कविता लिखना शुरू हो गया था। इस भाषा को विद्वानों ने 'देशी भाषा'', "पुरानी हिन्दी'' कहा है। इसे ही हिन्दी भाषा का प्रारंभ मानना चाहिए। उस काल के भाट-चारण कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के शौर्य-पराक्रम का वर्णन बहुत बढ़ा-चढ़ाकर करते थे। कविता का विषय होता था - युद्ध, प्रेम, विवाह, आखेट आदि। वीररस की प्रधानता के कारण हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है।

इस काल की रचनाएं दो रूपों में मिलती हैं - **प्रबंध काव्य** के रूप में, जैसे चंदबरदाई रचित "पृथ्वीराज रासो'', नरपतिनाल्ह रचित 'बीसल देव रासो'' आदि। दूसरा रूप है **वीर गीतों** का, जैसे जगनिक रचित "परमाल रासो''। यह मूल रूप में उपलब्ध नहीं है लेकिन उसके आधार पर विकसित लोकगीत ''आल्हाखंड'' बहुत ही लोकप्रिय रचना है जो आज भी साधारण जनता के बीच गायी जाती है।

इस काल के अत्यन्त महत्वपूर्ण और बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि हैं - अमीर खुसरो। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनकी हिन्दी रचनाओं में स्पष्ट रूप से हिन्दी भाषा के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है।

आदिकाल की काव्य शैली तथा प्रमुख प्रवृत्तियाँ :

- आश्रयदाताओं की प्रशंसा, उनके युद्ध, विवाह, प्रेम, आखेट का वर्णन।
- वीररस की प्रधानता, ओजमयी भाषा का प्रयोग।
- ऐतिहासिक गाथाओं का सहारा लेकर कल्पना के सहारे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन।

(ध्यान दीजिए कि इस काल की कोई रचना हाई स्कूल स्तर तक की पाठ्य पुस्तक में नहीं रखी जाती, अत: आदिकाल की प्रवृत्तियों का यह संक्षिप्त परिचय ही यथाप्रसंग पर्याप्त है।)

4.4.2 भक्तिकाल (1400 से 1700 ई. तक)

माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में भक्तिकालीन हिन्दी कवियों की रचनाएँ अवश्य ही रखी जाती हैं, जिनमें मुख्यत: कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी कविताएं पढ़ाते समय भक्तिकालीन हिन्दी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का परिचय शिक्षार्थियों की साहित्यिक योग्यता विस्तार की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा।

हिन्दी साहित्य के आदिकाल के बाद काव्य के वर्ण्य-विषय और भाषा-शैली में परिवर्तन हुआ। वीररस की रचनाओं की जगह ईश्वर भक्ति की काव्य-धारा प्रवाहित हुई। इसीलिए इस काल का नाम भक्तिकाल पड़ा।

भक्तिकाल की कविता मुख्यत: ईश्वर भक्ति संबंधी दो प्रकार की विचारधाराओं पर आधारित है :- **निर्गुण भक्ति** और **सगुण भक्ति**।

निर्गुण और सगुण भक्ति का मुख्य अंतर यह है कि निर्गुण मत के ईश्वर अवतार नहीं ग्रहण करते। वे निराकार हैं। सगुण मत के ईश्वर अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, संतों की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं।

निर्गुण भक्ति धारा के दो रूप है - **ज्ञानाश्रयी शाखा** और **प्रेममार्गी शाखा**।

सगुण भक्ति धारा के भी दो रूप हैं - **रामभक्ति शाखा** और **कृष्णभक्ति शाखा**।

निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा में रामानंद के शिष्य कबीर का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने निर्गुण, निराकार ईश्वर की भक्ति से संबंधित कविताएं लिखीं। उन्होंने ईश्वर के लिए राम का नाम अवश्य लिया है, पर उनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं हैं, अपितु ईश्वर के ही द्योतक हैं। कबीर ने अपनी कविताओं में सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों - पूजा पाठ, कर्मकांड, तीर्थाटन, व्रत, नमाज, रोज़ा, और जातिगत भेदभाव पर बड़ा ही तीखा प्रहार किया है। उन्होंने काज़ी, पंडित, मुल्ला को बड़े तिरस्कार से संबोधित किया। आंडबरों से उन्हें बड़ी चिढ़ थी। कबीर ने मानवीय गुणों और नैतिकता पर बल दिया। कबीर की कविताओं का संग्रह "बीजक" कहलाता है। इसके तीन भाग है - रमैनी, सबद और साखी। रमैनी और सबद में गेय पद हैं, साखी दोहों में है। रमैनी और सबद ब्रज भाषा में हैं। साखी में पूर्वी प्रयोग अधिक हैं।

निर्गुण भक्त अन्य कवियों में नानक, दादू, मलूकदास, रैदास के नाम उल्लेखनीय हैं। ये मूलत: संत कवि थे। यद्यपि ये भी आडंबरों और पाखंड़ों, सामाजिक-धार्मिक कुरीतियों के विरोधी थे पर इन्होंने कबीर की भांति उनपर खुलकर प्रहार नहीं किया।

प्रेममार्गी शाखा के कवि प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का मूल आधार मानते हैं। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में इस्लाम की सूफ़ी विचारधारा के अनुसार ईश्वर को निर्गुण, निराकार मानते हुए लौकिक प्रेम गाथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम का चित्रण किया है। इस शाखा के अधिकतर कवि मुसलमान थे। जायसी, कुतुबन, मंझन आदि इस शाखा के मुख्य कवि हैं। मलिक मुहम्मद जायसी रचित महाकाव्य "पद्मावत" हिन्दी साहित्य की अमूल्य कृति मानी जाती है।

इन कवियों की काव्य भाषा अवधी है और दोहा-चौपाई मुख्य छंद हैं।

सगुण भक्ति के कवियों ने राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानकर भक्ति काव्य का सृजन किया है।

रामभक्ति शाखा के सबसे महान कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनके सगुण स्वरूप का प्रतिपादन "रामचरित मानस" महाकाव्य में बड़े विस्तार से किया है। उन्होंने शक्ति, शील और सौन्दर्य तीनों गुणों से विभूषित राम का इस प्रकार चित्रण किया कि "रामचरित मानस" आज भारतीय जनता के गले का हार बना हुआ है। तुलसीदास के अन्य ग्रंथों में कवितावली, गीतावली और विनयपत्रिका विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं।

भक्तिकालीन कवियों में तुलसीदास का स्थान अनेक दृष्टियों से सर्वोच्च माना जाता है। उस समय की काव्य भाषाओं - ब्रज और अवधी दोनों पर उनका समान अधिकार था। "रामचरित मानस" अवधी भाषा में है, जबकि कवितावली, गीतावली और विनयपत्रिका ब्रज भाषा में हैं। वे प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों की काव्य रचना में कुशल थे। रामचरित मानस उच्चकोटि का प्रबंध काव्य है तो गीतावली और कवितावली में रामकथा मुक्तकों में कही गई है। तुलसीदास ने सभी काव्य रूपों और छंदों का उपयोग किया है। छप्पय पद्धति, गीत पद्धति, कवित्त-सवैया पद्धति, बरवै, दोहे और चौपाई आदि सभी प्रकार के छंदों का सुन्दर प्रयोग किया। आचार्य शुक्ल ने लिखा है - "हिन्दी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामीजी (तुलसीदास) ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं।"

रामभक्ति शाखा के अन्य कवियों में अग्रदास, नाभादास, हृदयराम आदि हैं। केशवदास ने "रामचंद्रिका" काव्य लिखकर रामभक्ति का परिचय दिया है।

कृष्णभक्ति शाखा के कवियों ने कृष्ण को अपना आराध्य देव माना। उन्होंने कृष्ण की ब्रज लीलाओं का बड़े विस्तार से वर्णन किया। कृष्णभक्त कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने "सूरसागर" नामक विशाल काव्य की रचना की, जिसमें श्रीकृष्ण की बाललीला और गोपियों के प्रेम, संयोग और वियोग का विशद वर्णन है। यह वर्णन इतना सुन्दर हैं कि सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का अप्रतिम कवि माना जाता है।

वल्लभाचार्य के प्रभु बिट्ठलनाथ ने आठ कृष्णभक्त कवियों को चुनकर उन्हें "अष्टछाप" की संज्ञा दी। ये कवि हैं - सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंद दास। इनमें सूरदास सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि हैं। इन कवियों ने ब्रजभाषा में गीत शैली का बड़ा ही मनोहारी उपयोग किया है।

अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त कृष्णभक्त कवियों में मीरा, रसखान और रहीम के नाम प्रसिद्ध हैं। **मीरा** ने अपने इष्टदेव गिरधरनागर (कृष्ण) का जो रूप चित्र अंकित किया है, वह बड़ा ही मोहक है - कृष्ण या तो मुरली बजाते हैं, या मंद-मंद मुस्काते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। विरह मीरा के जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ है जो उनके काव्य में सजीव रूप से अभिव्यंजित होता है। उनकी कविता में कृष्ण के प्रति मिलन की व्याकुलता, वेदना और समर्पण की भावना बड़े ही मार्मिक रूप में व्यक्त हुई है। उनके पद भजन गीतों के रूप में आज भी संगीतज्ञों में बहुत प्रिय हैं और उन्हें सुनकर श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो उठते हैं।

रसखान का नाम अष्टछाप के कवियों में नहीं है किन्तु कहा जाता है कि वे भी गोसाईं बिट्ठलनाथ के शिष्य थे। रसखान ने कृष्ण का लीलागान गेय पदों में नहीं, सवैयों में किया है। जितने सरस, सहज और प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिन्दी कवि के हों। ब्रजभाषा की ऐसी सहज मधुरिमा अन्यत्र दुर्लभ है। कृष्ण प्रेम के कारण ब्रजभूमि के प्रति जो प्रबल मोह और आकर्षण रसखान की कविताओं में दिखाई पड़ता है, वह तो उनकी अनोखी विशेषता है।

रहीम (अब्दुलरहीम खानखाना) की गणना भी कृष्णभक्त कवियों में ही की जाती है, पर वे अपने नीति के दोहों के लिए अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। उनके भक्ति परक दोहे उनके हृदय की सरसता व्यक्त करते हैं। वे अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के जानकार थे। उनकी मुख्य रचनाएं हैं - रहीम दोहावली या सतसई, रास पंचाध्यायी आदि। रहीम ने तुलसी की ही भांति अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। रहीम के भक्ति और नीति परक दोहे बहुत ही लोकप्रिय हैं और पाठ्य पुस्तकों में उनका स्थान अक्षुण्ण है।

भक्तिकालीन कविता की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ

- निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार ईश्वर के उपासक, गुरु की महत्ता में विश्वास रखने वाले, विकृत रूढ़ियों और परम्पराओं के विरोधी, जातिपाँति के बंधन को न मानने वाले, मानवीय गुणों पर बल देने वाले तथा सरल सादे जीवन के पक्षधर थे। उनके काव्य की भाषा सीधी-सादी, अलंकार विहीन तथा अनेक जन-भाषाओं और बोलियों का मिश्रण होती थी। इसी कारण इस भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं।
- निर्गुण प्रेममार्गी शाखा के कवि भारतीय आख्यानों, चरित काव्यों के आधार पर प्रेम गाथाएं लिखने वाले कवि थे। इनकी भाषा अवधी है और दोहा, चौपाई मुख्य छंद हैं।
- सगुण भक्त कवियों ने राम और कृष्ण को अवतार मानकर उनका गुणगान और लीला वर्णन किया। तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचना की। कृष्णभक्त कवियों ने ब्रज भाषा में कविता की। रामभक्ति में दास्य और शांत भाव की प्रधानता है, पर कृष्णभक्ति में वात्सल्य और श्रृंगार की प्रधानता है।

बोध प्रश्न

2. भक्तिकाल की किन्हीं तीन साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख तीन पंक्तियों में कीजिए।

.....

.....

.....

4.4.3 रीतिकाल (1700 से 1850 ई. तक)

इस काल के कवियों में बिहारी और भूषण को माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में रखा जाता है। अत: इनकी कविताओं को पढ़ाते समय योग्यता विस्तार की दृष्टि से रीतिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय दिया जा सकता है।

रीतिकाल में अधिकतर कवि राजदरबारों के आश्रय में रहकर श्रृंगारिक कविता करने लगे। ये कविताएं प्राय: काव्य शास्त्र के लक्षणों - रस, अलंकार, छंद आदि के उदाहरण रूप में लिखी गईं। इसीलिए इन्हें रीतिग्रंथ भी कहते हैं और इस काल को रीतिकाल। श्रृंगार और प्रेम ही रीतिकालीन-कविता का वर्ण्य विषय है। इन कवियों ने कविता में भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष को विशेष महत्व दिया।

रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा में कविता की। कवित्त सवैया और दोहा इस काल के प्रसिद्ध छंद हैं। रीतिकाल के प्रमुख कंवि केशवदास, जिनके ग्रंथ कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीरसिंह चरित, विज्ञानगीता, रतन बावनी तथा जहांगीर-जस चन्द्रिका हैं, संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित थे तथा हिन्दी के प्रथम साहित्यचार्य थे। सेनापति, बिहारी, देव, भूषण, मतिराम, पद्माकर, गंग, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि अन्य अनेक प्रसिद्ध कवि थे।

ये कवि श्रृंगार रस के उत्कृष्ट कवि हैं। इस काल में कविता की एक दूसरी प्रवृत्ति वीररस की भी थी। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बिहारी सतसई उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसकी श्रेष्ठता और लोकप्रियता इसी बात से सिद्ध है कि इसकी पचासों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। श्रृंगार रस के अतिरिक्त बिहारी ने कुछ भक्ति एवं नीतिपरक दोहे भी लिखे हैं। बिहारी का समग्र साहित्य अत्यधिक मार्मिक तथा लोकप्रिय है। माध्यमिक स्तर की सभी पाठ्य पुस्तकों में प्राय: ये दोहे संकलित किए जाते हैं।

भूषण ने शिवाजी एवं छत्रसाल की वीरता की प्रशंसा में "शिवा बावनी" तथा "छत्रसाल दशक" काव्य ग्रंथ लिखे। भूषण की कविता का प्रधान स्वर वीररस है। वे ओज के कवि हैं, इसीलिए रीतिकाल के विशिष्ट कवि हैं।

रीतिकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं :

- इस काल के कवियों ने राज्याश्रम में रहकर अपने आश्रयदाताओं को संतुष्ट करने के लिए काव्य रचना की जिसका प्रमुख रस श्रृंगार है।
- इस काल में काव्य-शास्त्र के लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत करने वाली रचनाएं लिखी गईं। श्रृंगार को रसराज मानकर उसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया। नायक-नायिका भेद, षड्ऋतु वर्णन, बारहमासा आदि का विशेष वर्णन किया गया।
- इस काल में ब्रजभाषा ही काव्य भाषा थी। इन कवियों ने उसे बहुत मधुर, कोमल और सुगम बनाने का प्रयास किया।
- काव्य का प्रधान स्वर श्रृंगार था परन्तु भक्ति, नीति एवं वीररस का भी काव्य रचा गया।
- इस काल में मुख्य रूप से मुक्तक काव्य ही लिखे गए। दोहा, कवित्त, सवैया छंदों की प्रधानता रही।

4.4.4 आधुनिक काल (1850 ई. से .....)

19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिन्दी साहित्य में नई चेतना आई। इस काल को नवजागरण काल भी कहा जाता है। देशवासियों में राष्ट्रीय भावना, प्राचीन भारतीय दर्शन, संस्कृति के प्रति गौरव की भावना और विदेशी (अंग्रेजी) सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की भावना का संचार हुआ। अत: इस समय की कविता में स्वदेश, स्वधर्म और स्वभाषा के प्रति अनुराग की भावना को अभिव्यक्ति मिली। भारतेंदु इस नव आंदोलन के अग्रणी थे। इस युग को उनके नाम पर भारतेन्दु युग कहते हैं। इस समय खड़ी बोली के गद्य का विकास होने लगा, किंतु कविता की भाषा ब्रजभाषा ही बनी रही।

आधुनिक युग के पूर्ववर्ती युगों - आदि, भक्ति, रीति - में हिन्दी साहित्य कविता का साहित्य था, किन्तु आधुनिक युग में कविता के साथ-साथ गद्य साहित्य का भी प्रचुर विकास हुआ। यही नहीं अपितु, इस युग को गद्य प्रधान युग माना गया क्योंकि गद्य साहित्य में अनेक विधाओं का विकास हुआ और प्रचुर मात्रा में उच्चकोटि का साहित्य रचा गया। दूसरा मुख्य अंतर भाषा में परिवर्तन का है। गद्य साहित्य तो प्रारंभ से ही खड़ी बोली में रचा जाने लगा पर कविता कुछ समय (भारतेंदु युग) तक ब्रजभाषा में होती रही।

आधुनिक युग के द्वितीय उत्थान (द्विवेदी युग - 1900-1920 तक) से कविता भी खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त आदि ने खड़ी बोली में कविता की और प्राचीन कथाओं को नए रूप में लिखा। अतीत गौरव और राष्ट्रप्रेम इस युग के प्रधान स्वर हैं।

आधुनिक युग के तृतीय उत्थान (1920-1936 तक) को छायावाद की संज्ञा दी जाती है। यह युग परंपरा के प्रति विरोध और नई मान्यताओं के सृजन का युग है। भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली सशक्त हुई। उसमें चित्रमयता, लाक्षणिकता तथा प्रतीकात्मकता का समावेश हुआ। छायावादी कविता में प्रकृतिप्रेम, राष्ट्रप्रेम, नारी के प्रति सम्मान तथा मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ-साथ अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन मानकर भी कविताएं हुई। प्राचीन छंदों की जगह नए छंदों की सृष्टि हुई और अतुकांत कविताएं भी प्रचुरता से रची गई। प्रगीत मुक्तकों की रचना विशेषरूप से हुई। प्रसाद, निराला की "परिमल'' और "अनामिका'', पंत की "पल्लव'' और "गुंजन'' तथा महादेवी वर्मा की "यात्रा'' और "दीपशिखा'' छायावाद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं।

छायावाद की कविता जीवन की यथार्थता और वास्तविक संघर्ष से दूर जा पड़ी थी और उसमें सूक्ष्म भावनाओं तथा काल्पनिक विचारों को ही विशेष अभिव्यक्ति मिली। सामाजिक जीवन से भी उसका संबंध नहीं था। संभवत: इसकी प्रतिक्रियास्वरूप प्रगतिवाद (सन् 1936 से) का आरंभ हुआ। किसान, मजदूर, शोषित वर्ग तथा सर्वसामान्य का जीवन काव्य के विषय बन गए। प्रगतिवादी कविता साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है। विषय की भाँति भाषा के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ और वह जन सामान्य के निकट आ गई। पंत की "युगवाणी'' और "ग्राम्या'' इस प्रकार की प्रतिनिधि रचनाएं हैं।

प्रगतिवाद के बाद हिन्दी कविता ने एक नई दिशा ग्रहण की, जिसे प्रयोगवाद के नाम से अभिहित किया गया। इस काल की कविता को "नई कविता'' कहा गया। सन् 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। इस कविता में अभिव्यक्ति के लिए उन प्रतीकों, बिम्बों और साधनों के प्रयोग पर बल दिया गया जो यथार्थ जीवन से उत्पन्न होते हैं। इन कविताओं में वैयक्तिक अनुभूति की ही प्रधानता है। अज्ञेय, गिरिजाकुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुबीर सहाय, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, विजयदेव नारायण साही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि इसके प्रतिनिधि कवि हैं।

दिनकर, बच्चन, अंचल, नरेन्द्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा आदि आधुनिक युग के ऐसे प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने किसी विशेष वाद का आश्रय नहीं लिया। स्वतंत्र रूप से आधुनिक जीवन की समस्याओं और भावनाओं को सशक्त रूप से व्यक्त करने वाले कवियों में दिनकर और सोहनलाल द्विवेदी का विशेष महत्व है।

आधुनिक युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और शैलीगत विशेषताएं संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

- **भारतेंदु युग** - रीतिकाल में साहित्य यर्थाथ और सर्वमान्य जीवन से अलग जा पड़ा था, भारतेंदु युग

में वह जीवन से जुड़ गया। देशोद्धार, राष्ट्रप्रेम, अतीत-गौरव आदि विषयों की ओर कवियों का ध्यान गया और उनकी कविता से जनता में भी नई चेतना का स्फुरण हुआ।

- **द्विवेदी युग** – भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तत्सम पदावली का प्रयोग बढ़ा। धीरे-धीरे उसमें सरलता और सुकुमारता भी आई। संस्कृत के छंदों का हिन्दी में प्रयोग होने लगा। प्रतीकात्मक शैली का काव्य भी खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। विषय की दृष्टि से इस काल की कविता सामाजिक या पौराणिक ही है।

- **छायावाद** – द्विवेदी युग के बाद छायावाद में नई प्रवृत्ति और काव्य शैली का विकास हुआ। मुक्तक गीतात्मक शैली की कविताएं रची गई। सूक्ष्म भावनाओं का निरूपण और प्रतीकात्मक शैली का विकास विशेष रूप से हुआ। शब्दावली और छंदों के प्रयोग में नवीनता आई। इस युग में नए प्रतीकों की प्रधानता परिलक्षित हुई। भाषा का लाक्षणिक प्रयोग भी बढ़ा। प्रकृति के प्रति नया दृष्टिकोण बना और उसे मानवीय रूप में चित्रित किया गया। सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार इस कविता के वर्ण्य-विषय रहे।

- **प्रगतिवाद** – प्रगतिवादी कविता में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति का स्वर प्रधान है। इसमें साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। किसान, मजदूर, शोषित वर्ग का पक्ष लेकर बौद्धिक धरातल पर कविता में भावों की अभिव्यक्ति की गई।

- **प्रयोगवाद** – इस सदी के पांचवे दशक में प्रयोग के नाम पर भाव, विचार, प्रक्रिया, छंद, प्रतीक, अलंकार सब में परिवर्तन की प्रवृत्ति पैदा हुई। यह प्रवृत्ति आजकल नई कविता के नाम से भी जानी जाती है।

  1960 के बाद अकविता का दौर आया। इसमें परंपरा को पूरी तरह से नकारने का भाव था। इस प्रवृत्ति के मुख्य कवि मुक्तिबोध और धूमिल माने जाते हैं।

  आज की हिन्दी कविता किसी विशिष्ट विचारधारा या "वाद" के घेरे से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से विषय, भाषा, शैली और विधाओं की दृष्टि से विकसित हो रही है और सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना के साथ-साथ विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है।

बोध प्रश्न

3. आधुनिक काल की विभिन्न प्रवृत्तियों के नामों तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख चार पंक्तियों में कीजिए।

.....

.....

.....

.....

4.5 हिन्दी साहित्य में प्रयुक्त कुछ प्रमुख अन्तःकथाएँ

साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन करते समय अनेक ऐसे संदर्भ आ जाते हैं जिनका समुचित ज्ञान न होने पर अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इनमें से कुछ संदर्भ साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या महान विभूतियों से संबंधित होते हैं जैसे बाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अशोक, चाणक्य आदि। कुछ महान व्यक्तियों के साथ तो साहित्यिक प्रयोग ही बन गए हैं। यथा दधीचि सा त्यागी, हरिश्चन्द्र सा सत्यवादी, कर्ण सा दानी, अर्जुन सा धनुर्धर आदि। अतः अर्थ स्पष्टता के लिए इनकी जानकारी आवश्यक हो जाती है। ऐसे ही अनेक नाम कविता या गद्य रचनाओं में आते हैं जिनके साथ पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी होती हैं। इन्हें स्पष्ट करना आवश्यक होता हैं। समुन्नयन कार्य के माध्यम से शिक्षार्थियों को इन अंतःकथाओं के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करें। वे पाठ्य पुस्तक में आए हुए ऐसे प्रसंगों को संकलित करें, तथा उन पर टिप्पणी करके आपको दिखाएं।

उदाहरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंत:कथाएं हैं :

अज – राजा रघु का पुत्र तथा दशरथ का पिता। ब्रह्मा को अज कहते है अत: रघु ने ब्रह्मा के नाम पर अपने पुत्र का नाम अज रखा। अज का विवाह इंदुमती से हुआ था जो वस्तुत: एक अप्सरा थी और शाप वश नारी बनी थी।

अजामिल – कान्यकुब्ज देश का एक ब्राह्मण, इस ने वैश्या के मोह में माता-पिता तथा विवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया। इसने लूटमार को अपनी जीविका का साधन बनाया। वैश्या के दस पुत्रों का पालन पोषण किया। किसी सत्पुरुष के उपदेश से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। मृत्यु के कष्ट से पीड़ित अजामिल अपने पुत्र नारायण का नाम अनेक बार लेकर पुकारने लगा। दयालु भगवान ने नाम स्मरण से उस पर कृपा की और वह मुक्त हो गया।

उर्वशी – एक प्रसिद्ध अप्सरा जिसने पुरूरवा को आकर्षित किया। राजा पुरूरवा को उसने नारी स्वभाव का अच्छा ज्ञान दिया तथा वचन दिया कि मृत्यु के पश्चात् जब वह स्वर्ग में जाएगा तब उसे उसका सहवास प्राप्त होगा। राष्ट्रकवि दिनकर कृत "उर्वशी" महाकाव्य में उर्वशी का विशेष अध्ययन कीजिए।

कालनेमि – लंका का एक राक्षस था। युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर उनके लिए जब हनुमान संजीवनी लेने जा रहे थे तब यह मुनि के वेश में हनुमान के मार्ग में आ बैठा। हनुमान ने इसका कपट समझ लिया तथा इसका वध कर दिया।

जटायु – गरुड़ जाति का मानव था। यह विनता का पुत्र था। अरुण को श्येनी से उत्पन्न दो पुत्रों में से यह एक था। यह एक श्रेष्ठ राजा था। यह दशरथ का मित्र भी था। रावण द्वारा सीता को ले जाया जाता देखकर यह क्रोधित हो उठा और अपनी पुत्रवधू की तरह सीता की रक्षा करने के प्रयास में इसने रावण पर आक्रमण कर दिया। रावण ने इसे घायल कर पंख-विहीन कर दिया। इसने सीता को खोजते हुए श्रीराम को रावण द्वारा सीता के अपहरण की सूचना दी। श्रीराम ने इसे मोक्ष प्रदान किया तथा इसकी मृत्यु का समाचार पाकर इसके भाई संपाति ने भी सीता की खोज के प्रयास में हनुमान की सहायता की।

निषाद – यह एक राजा था। मृत्यु की मानसी कन्या सुरथा का पौत्र एवं वेन राजा का पुत्र था। बनवास के समय श्रीराम का आतिथ्य किया तथा उनकी यथासंभव सहायता की।

समुद्र मंथन – अमृत प्राप्त करने के लिए देवों और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया।

समुद्र मंथन के समय "कालकूट" विष निकला, जिसे शिव ने ग्रहण किया। तत्पश्चात् ऐरावत हाथी, उच्चै: श्रवस नामक अश्व, धन्वन्तरि, पारिजातक, कामधेनू तथा अप्सरा इन रत्नों का उद्भव हुआ। अगले दिन श्री लक्ष्मी उत्पन्न हुईं जिनका विवाह श्री विष्णु ने स्वीकार किया। तत्पश्चात् चन्द्र एवं अमृत उत्पन्न हुए।

गतिविधियां

- अंत: कथाओं की संख्या विपुल है। 'भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश' एक श्रेष्ठ संदर्भ ग्रंथ है। यह ग्रंथ विनायक सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राय, कार्यवाह, भारतीय चरित्र कोश मंडल, 1206 अ/45, जंगली महाराज पथ, पूना-4 द्वारा प्रकाशित है। आप इसे अपने विद्यालय के पुस्तकालय हेतु अथवा अपने लिए मंगवाइए। किसी भी पाठ्य पुस्तक में यदि अन्त:कथा निहित हैं तब अवश्य ही समाधान होगा।
- अपनी पाठशाला में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों में परिगणित नामों से सम्बन्धित किन्हीं 20 अन्त:कथाओं का अध्ययन कीजिए तथा लगभग 50-60 शब्दों में प्रत्येक अन्त:कथा लिखिए।

4.6 रंगमंचोपयोगी एकांकी

"एकांकी" का रंगमंच पर प्रदर्शन वर्ष में अनेक बार किया जाता है। जब-जब सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे तब-तब एकजांकी अथवा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति अपेक्षित है। नृत्य नाटिकाओं के लिए भारतीय संस्कृति के साहित्यिक

महत्व के अनेक विषय, महाभारत, रामायण आदि के विषय तथा वर्तमान मानव समाज की समस्याओं के विषय तथा दहेज आदि के विषय भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

एकांकी के क्षेत्र में हिन्दी में सराहनीय प्रयास हुए हैं। पौराणिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक महत्व के एकांकियों का मंचन प्रभावपूर्ण होता हैं परन्तु हास्य-व्यंग्य के माध्यम से भी सामाजिक विकृतियों को उजागर करके दर्शकों में स्वस्थ जीवन मूल्यों का विकास किया जा सकता है।

डॉ. रामकुमार वर्मा के एकांकियों की श्रृंखला में भुवनेश्वर प्रसाद, गणेश प्रसाद द्विवेदी, उदयशंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ अश्क, लक्ष्मीनारायण मिश्र, जगदीश चन्द्र माथुर, गोविन्द वल्लभ पंत, भगवतीचरण वर्मा, वृन्दावनलाल वर्मा, सेठ गोविंददास, डॉ. सत्येन्द्र, विष्णु प्रभाकर, डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल, श्रीमती विमला लूथरा, अर्जुन चौबे, पृथ्वीनाथ शर्मा, देवेन्द्रनाथ शर्मा, राजेन्द्र कुमार शर्मा, सुमित्रानंद पंत, देवराज दिनेश, हंसकुमार तिवारी, श्रीमती रत्नाकुमारी, चिरंजीत आदि अनेक उत्कृष्ट साहित्यकारों ने रंगमंच के लिए एकांकियों की रचना की है।

जयनाथ नलिन के एकांकी लस्सी का गिलास, देश की मिट्टी, लाल दिन, फिलास्फर, मेहमान, कन्वेसिंग, सागर तट पर, फिल्मी कहानी, नवाबी सनक, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, संवेदना सदन, बाबू उधारचन्द, शर्बत सम्मेलन, वर निर्वाचन, मेल मिलाप आदि अनेक ऐसे एकांकी हैं जिनमें खुशामद की आदत, धन का लोभ, भाई भतीजावाद आदि अनेक सामाजिक विकृतियों पर कुठाराघात किया गया है। रंगमंचीय कौशल की दृष्टि से सभी एकांकी सफल हैं।

4.7 समभावी कविताओं का संकलन

समभावी कविताओं का प्रयोग कविताओं के अध्यापन में उपयोगी सिद्ध होता हैं क्योंकि एक कविता की प्रस्तुति में दूसरी कविता को आधार बनाया जा सकता है, प्रस्तावना रूप में उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही समभावी कविताओं का संकलन शिक्षार्थियों में साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करता है, उनकी पठन-पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न होती हैं तथा उन्हें कविता वाचन आदि के लिए पर्याप्त सामग्री भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए समुन्नयन की दृष्टि से समभावी कविताओं का संकलन एक अत्यन्त प्रभावी क्रियाकलाप है। उदाहरण के लिए :

किशोर भारती (भाग 1) की कविता "देश गान" लें।

इस कविता के लिए निम्नलिखित समभावी कविताओं का संकलन किया जा सकता है :

क) तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित।
चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं।

ख) हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार।
उषा ने हँस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार।
जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक।
व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृति हो उठी अशोक।

ग) जय गान भारत, जनमन अभिमत जन गणतंत्र विधाता।
गौरव भाल हिमाचल उज्ज्वल हृदय हार गंगाजल।
कटि विंध्याचल, सिंधु चरणतल महिमा शाश्वत गाता।

इसी प्रकार कविता "मुक्ति की आकांक्षा" को लें :

"चिड़िया को लाख समझाओ
कि पिंजड़े के बाहर
धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है

वहाँ हवा में उन्हें
अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी
यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है
पर पानी के लिए भटकना है
यहाँ कटोरी में भर जल गटकना है .....

इस कविता के भाव साम्य की कविता "हम पंछी उन्मुक्त गगन के" को लिया जा सकता है :

"हमु बहता जल पीने वाले,
मर जाएंगे भूखे प्यासे
कहीं भली है कटुक निबौरी
कनक कटोरी की मैदा से।

पुस्तकीय दोहा -

पानी केरा बुदबुदा, अस मानुस की जात।
देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा परभात।

समभावी दोहा -

कबीर गर्व न कीजिए अस जीवन की आस।
टेसू फूला दिवस दस खंखर भया पलास।

गतिविधि

वर्षा ऋतु से सम्बन्धित सुमित्रानंदन पंत की "बादल" एवं "पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश", निराला की "बादल राग", भवानी प्रसाद मिश्र की "मेघदूत", केदारनाथ सिंह की "बादल ओ" जैसे अन्य समभावी कविताओं का संकलन कीजिए।

भाषिक समुन्नयन की दृष्टि से कार्यक्रम

- भाषण प्रतियोगिता - समसामयिक विषयों का चयन कीजिए जिनसे विद्यार्थियों में आंदर्श जीवन मूल्यों का विकास हो सके।
- वाद-विवाद प्रतियोगिता - समसामयिक विषय जिनमें तर्क की पूरी संभावना हो, विषय शिक्षार्थियों के स्तर के अनुकूल हों, विषयवस्तु, भाषा तथा अभिव्यक्ति के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- काव्य-पाठ प्रतियोगिता - भाव, लय, रस आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण कविताओं का पाठ ही अपेक्षित है।
- निबन्ध लेखन प्रतियोगिता - निबन्ध लेखन के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं जीवन मूल्यपरक विषय चुनने चाहिए।
- एकांकी प्रतियोगिता - एकांकी का चुनाव रंगमंच पर अभिनेयता की दृष्टि से किया जाना चाहिए।

4.8 पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

"मुहावरा" शब्द से तात्पर्य

हर भाषा में मुहावरे उस समाज की संरचना तथा भाषा के अनुसार होते हैं अर्थात् मुहावरों का संबंध किसी भाषा विशेष से होता है।

प्रत्येक मुहावरा किसी विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति की क्षमता रखता है। सामान्य अर्थ की प्रतीति कराने वाले वाक्यांश मुहावरों की कोटि में नहीं आ सकते।

मुहावरों का अर्थ शाब्दिक न लेकर किसी विशिष्ट अभिव्यक्ति के अर्थ के रूप में लिया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मुहावरे किसी भाषा विशेष के उन प्रयोगों, वाक्यांशों या पदों के समूह को कहते हैं जो लक्षित अर्थ तो व्यक्त करते ही हैं साथ ही साथ उस भाषा-भाषी समुदाय की मानसिकता (सोच) को भी प्रतिबिंबित करने में सहायक होते हैं। नीचे कुछ मुहावरों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। आप पाठ्य पुस्तक में आए मुहावरों का संकलन शिक्षार्थियों को करवाएं।

आंखों का तारा - (बहुत प्यारा) - वह बालक अपने माता-पिता की आंखों का तारा है।

सिर पर कफन बांधना - (मरने के लिए तैयार होना) - स्वतंत्रता आन्दोलन में कूदने वाले सिर पर कफन बांध कर निकले थे।

दांतों तले अंगुली दबाना - (बहुत हैरान होना) - उनकी बातें सुन कर सब दांतों तले अंगुली दबाने लगे।

अंगारे उगलना - (क्रोध में कटु वचन बोलना) - अपने शत्रु को देखते ही वह अंगारे उगलने लगा।

छाती पर मूंग दलना - (दुःखी करना) - जो भाई भाभी तुम्हारे हितैषी हैं, उनकी छाती पर मूंग मत दलो।

काम आना - (मारा जाना) - इस युद्ध में अनेक वीर काम आये।

अंग अंग मुस्काना - (बहुत प्रसन्न होना) - परीक्षा में अपनी सफलता का समाचार सुनकर निशा का अंग-अंग मुस्काने लगा।

"लोकोक्ति" शब्द से तात्पर्य

लोकोक्ति का सीधा अर्थ है - लोक की उक्ति, अर्थात् यह लोक में प्रचलित उक्ति है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाओं, प्राकृतिक नियमों और लोक-विश्वासों आदि पर आधारित चुटीली, सारगर्भित, संक्षिप्त लोक-प्रचलित उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं।

लोकोक्तियों के प्रमुख लक्षण

समय के लंबे फैलाव के बावजूद लोकोक्ति के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्याकरण के नियम भी लोकोक्ति पर लागू होना आवश्यक नहीं है।

लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। भले ही व्याकरण की दृष्टि से उसका स्वरूप पूरे वाक्य का न हो, किन्तु अभिव्यक्ति की दृष्टि से इसमें परिपूर्णता होती है। लोकोक्तियाँ संक्षिप्त हुआ करती हैं। यह इतनी कसी हुई होती हैं कि इनका कोई भी शब्द बेमानी नहीं होता, जिसे निकाल दिया जा सके। लोकोक्ति ऐसे अनुभवों को समेटती है, जो बहु-जातीय, बहु-देशीय, बहु-क्षेत्रीय और बहु-कालिक होते हैं।

लोकोक्तियाँ सारगर्भित और साभिप्राय होती हैं। इसे लोकोक्ति का प्राणतत्व कहा जा सकता है।

लोकोक्तियाँ सत्य का उद्‌घाटन करने वाली होती हैं। उनकी कथन शैली आकर्षक होती हैं, जिसमें सजीवता विद्यमान रहती है।

लोकोक्तियों की एक विशेषता उनका लोकप्रिय होना है। वास्तव में यह कथन की उपयोगिता है, जो उसे लोकप्रियता देती है।

लोकोक्तियाँ चुटीली होती हैं। अपने पैनेपन के कारण लोक-मानस में यह ऐसे धंस जाती हैं कि निकल नहीं पातीं। यही कारण है कि अपनी किसी बात को सिद्ध करने या प्रभावशाली बनाने के लिए हम किसी लोकोक्ति का ही सहारा लेते हैं। नीचे उदाहरणार्थ कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं।

- अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता - (अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता) - यदि एक व्यक्ति ईमानदार हो तो बेईमानी समाप्त नहीं कर सकता, सच है कि कभी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।
- आम के आम गुठलियों के दाम - (एक साधन से अनेक लाभ) - मैंने जितने में पुस्तकें खरीदी थी पढ़ने के पश्चात् उतने में ही बेच दीं, हुए न आम के आम गुठलियों के दाम।

- आसमान से गिरा खजूर पर अटका - (एक के बाद दूसरी विपत्ति में फंसना) - मुकदमें में जीत जाने के पश्चात् उसे रिहा तो कर दिया पर दूसरे वर्ग ने उसे धमकी दी कि उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सचमुच आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाली बात हैं।
- आगे कुंआ पीछे खाई - (दोनों ओर मुसीबत) - भाई को मकान बनाने में सहायता करता हूँ तो पत्नी नाराज होती है, यदि पत्नी की बात मानता हूँ तो भाई नाराज होता है। मेरी तो वही स्थिति है कि आगे कुंआ पीछे खाई।
- जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोए - (जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कोई मार नहीं सकता) - वह बच्चा तिमंजले मकान से गिरा फिर भी उसे खरोंच तक नहीं आई, सच कहा है कि जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोए।

मुहावरे और लोकोक्तियों में अन्तर

मुहावरों में वाक्य की पूर्णता नहीं होती है। जैसे "नौ दो ग्यारह होना", "आंख लगना" - इसके विपरीत लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण होती हैं। भाषा में प्रयोग की दृष्टि से उनकी अपनी सत्ता सदैव विद्यामन रहती है। जैसे "आम के आम गुठलियों के दाम" प्रयोग में कुछ घटाया या बढ़ाया नहीं जाता।

मुहावरे जब वाक्य रचना में ढल जाते हैं तब उनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुरूप परिवर्तन आते हैं। किन्तु लोकोक्तियों में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए दो नमूने देखिए :

1. मुहावरा : "अंग अंग फूले न समाना"
   वाक्य : नियुक्ति पत्र मिलने पर मोहन अंग अंग फूले न समाया।
2. लोकोक्ति : "घर का भेदी लंका ढावै"
   वाक्य : नरेश ने ही आयकर विभाग वालों को भाई की अतिरिक्त आय के सम्बन्ध में बताया तभी उसके घर छापा पड़ा है। सच ही कहा गया है, घर का भेदी लंका ढावै।
3. मुहावरों का अंत प्राय: "ना" से होता है, किन्तु लोकोक्तियों के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है।

लोकोक्ति में जीवंत अनुभव सा अनुभूत सत्य को व्यक्त किया जाता हैं। जबकि मुहावरे में क्रिया, स्थिति या दिशा की अभिव्यक्ति होती है।

लोकोक्ति के जरिए किसी कथन का समर्थन या खंडन होता है, किन्तु मुहावरे से प्राय: सामान्य क्रिया की पूर्ति होती है। मुहावरे कथ्य को रुचि पूर्ण बनाते हैं, किन्तु लोकोक्तियाँ कथ्य की पुष्टि करती हैं।

बोध प्रश्न

4. निम्नलिखित मुहावरों का अपने बनाए वाक्यों में प्रयोग कीजिए :
   आंखे दिखाना -
   आंखों में धूल झोंकना -
   कान पर जूं न रेंगना -
   खून पसीना एक करना -
   टस से मस न होना -

5. नीचे लिखी लोकोक्तियों को पूर्ण कीजिए :
   1. नाच न जानें .....
   2. होनहार बिरवान के .....
   3. चोर की दाढ़ी में .....
   4. रस्सी जल गई पर .....
   5. धोबी का कुत्ता न .....

4.9 शब्द भंडार वृद्धि के लिए शब्द सूची

शब्द भंडार भाषा के खजाने के समान होता है। जिस प्रकार व्यक्ति के पास पर्याप्त खजाना/धन सम्पत्ति होने पर उसका जीना आसान हो जाता है उसी प्रकार पर्याप्त शब्द भंडार का जानकार व्यक्ति भाषा प्रयोग में सुविधा अनुभव करता है। हिन्दी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी शब्दों के कारण शब्द भंडार अथाह है। विशेषकर संस्कृत जैसी शब्द समृद्धि वाली भाषा से पोषित होने के कारण हिन्दी के पास शब्दों की एक बड़ी शक्तिशाली टकसाल है जिस में उपसर्गों, प्रत्ययों, सन्धि समास आदि के माध्यम से अनन्त शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य देशी एवं विदेशी भाषाओं से भी शब्द पर्याप्त मात्रा में हिन्दी में आए हैं और आज भी आ रहे हैं। हिन्दी के अपने उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास भी शब्द भंडार में वृद्धि करने में सक्षम हैं। नीचे हिन्दी के शब्द भंडार की वृद्धि के आधारों की चर्चा की जा रही है।

4.9.1 उपसर्ग

जो शब्दांश शब्द से पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरणार्थ वन से पूर्व "उप" उपसर्ग लगकर उपवन शब्द बना जिसका अर्थ वन से भिन्न हैं।

हिन्दी शब्द-रचना में संस्कृत के उपसर्गों की प्रधानता है। संस्कृत के निम्नलिखित उपसर्गों द्वारा हिन्दी में अनेक शब्दों का संवर्द्धन हुआ है। अवं - अवगुण, अति - अतिरिक्त, अधि - अधिपति, दुर् - दुर्बल, नि - निवास, निर् - निरपराध, परा - पराजय, प्र - प्रबल, वि - विदेश, सु - सुरक्षित।

संस्कृत के ही अपभ्रंश रूप में प्रयुक्त उपसर्गों को हिन्दी उपसर्गों की संज्ञा दी जाती हैं। हिन्दी में अनेक शब्दों की रचना हिन्दी उपसर्गों के माध्यम से भी की जाती हैं। उदाहरण देखिए :
अन - अनपढ़, अध - अधपका, नि - निडर, दु - दुपहिया।

कभी कभी एक से अधिक उपसर्गों द्वारा शब्द-रचना की जाती हैं जैसे -

प्रति	+ उप + कार	-	प्रत्युपकार
सम	+ आ + लोचना	-	समालोचना
वि	+ अव + हार	-	व्यवहार
दुर्	+ वि + अव + हार	-	दुर्व्यवहार

हिन्दी में अव्यय एवं विशेषण भी उपसर्गों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं :
अधः - अधःपतन, अन्तः - अन्तःकरण, सह - सहपाठी, स्व - स्वदेश।

बोध प्रश्न

6. [illegible] तथा दुर् उपसर्गों से तीन-तीन नवीन शब्द बनाइए।

.....

.....

.....

.....

4.9.2 प्रत्यय

जो शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्ययों के योग से एक शब्द विभिन्न शब्दों में परिवर्तित हो सकता है।

प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं - कृत तथा तद्धित।

"कृत" प्रत्यय वे हैं जो क्रिया पदों के पीछे लगते हैं। इन्हें कृदन्त कहा जाता है, उदाहरण देखिए :

क्रियापद	प्रत्यय	शब्द
भिक्ष	उक	भिक्षुक
नै	अक	नायक
नी	ता	नेता
दा	ता	दाता
तैरना	अक	तैराक

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ मिलकर जो प्रत्यय नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता हैं। ऐसे प्रत्ययों से निर्मित शब्द देखिए :

शब्द	प्रत्यय	नवनिर्मित शब्द
कृपा	आलु	कृपालु
संसार	इक	सांसारिक
प्रभु	ता	प्रभुता
महत्	त्व	महत्व
पूजा	आरी	पुजारी

बोध प्रश्न

7. निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय छांटिए।

   शेरनी, देवरानी, पुत्री, नागिन, मिलावट, अमरता, गुरुत्व, पारलौकिक, जातीय, दयालु।

8. आलु, इक, ता, त्व, आरी, तद्धित प्रत्ययों से नए शब्द बनाइए।

4.9.3 सन्धि

समीपस्थ दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह सन्धि कहलाता है। विभिन्न वर्णों के मेल के आधार पर सन्धि के तीन वर्ग हैं :

1. स्वर सन्धि 2. व्यंजन सन्धि 3. विसर्ग सन्धि

1. स्वर सन्धि

दो स्वरों के योग से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर सन्धि कहते हैं। स्वर सन्धि के निम्नलिखित पांच भेद हैं :

दीर्घ सन्धि

जब प्रथम शब्द के अन्त में ह्स्व या दीर्घ (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ) तथा द्वितीय शब्द के आरम्भ में वही ह्स्व या दीर्घ स्वर हो तो क्रमशः आ, ई, ऊ हो जाता है तब दीर्घ सन्धि होती है।

प्रधानाध्यापक - प्रधान + अध्यापक (अ + अ - आ)

शिवालय - शिव + आलय (अ + आ - आ)

रवीन्द्र - रवि + इन्द्र - (इ + इ - ई)

मुनीश - मुनि + ईश (इ + ई - ई)

लघूर्मि - लघु + उर्मि (उ + उ - ऊ)

प्रथम मत वाले व्याकरण पढ़ाने के बिल्कुल विरुद्ध हैं। इनका मत है कि बालक को भाषा सिखा देने से ही उसका काम चल जाता है। जब बालक शुद्ध भाषा सीख जायेगा तब उसे व्याकरण की क्या आवश्यकता रहेगी। आपातत: यह मत ठीक लगता है परन्तु यहां प्रश्न यह है कि यह तो माना जा सकता है कि बालक ने शुद्ध भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं, पर भाषा का यह रूप क्यों शुद्ध है और इस से भिन्न रूप क्यों शुद्ध नहीं, यह बिना व्याकरण के ज्ञान के नहीं बताया जा सकता। शिक्षार्थी बौद्धिक एवं तार्किक दृष्टि से यह जानना चाहता है कि भाषा का जो रूप उसे ज्ञात है वही क्यों शुद्ध है, इसका उत्तर उसे केवल व्याकरण शास्त्र से ही मिल सकता है।

द्वितीय मत वाले पहले अनिवार्य रूप से व्याकरण पढ़ाकर ही भाषा सिखाना चाहते हैं। उनका मत है कि व्याकरण के अध्ययन से शुद्ध पदों आदि का ज्ञान कर लेने के अनन्तर बालक शुद्ध भाषा का स्वत: ज्ञाता हो जाता है। अत: उसे पहले व्याकरण का अनिवार्य रूप से अध्ययन करवा कर भाषा का ज्ञान देना चाहिए। यह मत एकांगी है। इसके अनुसार व्याकरण साध्य बन जाएगी और शिक्षार्थी का बहुत सा समय व्याकरण अध्ययन में ही निकल जाएगा। इससे उस की भाषा शिक्षण गति बाधित होगी। दूसरे यह प्रक्रिया शिक्षार्थी के लिए नीरस एवं अमनोवैज्ञानिक है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि भाषा सिखाकर ही व्याकरण सिखाया जाए। भाषा सीखने के बाद ही बालक को व्याकरण का कार्यकारी ज्ञान देना चाहिए।

तीसरा मत तर्क संगत प्रतीत होता है, इसके अनुसार भाषा को सिखाने के अनन्तर शिक्षार्थी को व्याकरण का सामान्य ज्ञान देना चाहिए, जिससे वह भाषा की वैज्ञानिकता से परिचित होकर भाषा को तर्क सम्मत ढंग से सीख सके। इस मत का एक अन्य रूप है कि भाषा को पृथक से न पढ़ा कर पुस्तक पढ़ाते-पढ़ाते व्याकरणिक रूपों एवं नियमों का परिचय दे दिया जाए, जिससे छात्रा बिना आंसू बहाए व्याकरण के नियमों को जान सकें। इसे भाषा ससंर्ग विधि के नाम से जाना जाता है।

हमारा मत है कि शिक्षार्थी को भाषा की वैज्ञानिकता एवं उसके तर्क सम्मत रूप को जानने के लिए शिक्षार्थी को औपचारिक रूप से व्याकरण का अध्ययन करवाना ही चाहिए। परन्तु यह ज्ञान भाषा को साध्य मान कर करवाया जाए। शिक्षार्थी को व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए।

व्याकरण शिक्षण के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है।

- सूत्र विधि
- पाठ्य पुस्तक विधि
- निगमन विधि
- आगमन विधि
- विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि
- पाठ संसर्ग विधि

4.6.1 सूत्र विधि

यह एक अति प्राचीन विधि है इसमें व्याकरण के सूत्र शिक्षार्थियों को समझा दिए जाते हैं और उनका कार्य भी बता दिया जाता है शिक्षार्थी सूत्रों को कण्ठस्थ कर लेते हैं। और उन के आधार पर शब्द रूप, धातु रूप आदि सिद्ध करते हैं। यह विधि अत्युच्च स्तर के लिए उपयोगी हो सकती है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए यह विधि अमनोवैज्ञानिक है।

4.6.2 पाठ्य पुस्तक विधि

इस विधि में व्याकरण की पुस्तक के आधार पर व्याकरण का अध्ययन करवाया जाता है। कक्षा में व्याकरण की कोई पुस्तक पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित कर दी जाती है, शिक्षक उस पुस्तक में दिए गए नियमों की व्याख्या करता है तथा शिक्षार्थी पुस्तक के नियम तथा उदाहरणों को कंठस्थ कर लेते हैं। वस्तुत: व्याकरण पाठ्य पुस्तक के रूप में न पढ़ा कर उसे स्वतंत्र रूप से शिक्षार्थियों के सहयोग से पढ़ाना चाहिए तभी उसे मनोवैज्ञानिक रूप से उचित कहा जा सकता है।

4.6.3 निगमन विधि

निगमन विधि को सिद्धान्त विधि भी कहते हैं। यह सूत्र विधि के बहुत निकट है। सूत्र विधि में शिक्षार्थियों को सूत्र बता कर उदाहरण दिए जाते हैं निगमन विधि में अपनी भाषा में नियम बताकर उन के उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि में पहले नियम या परिभाषा बताकर बाद में उदाहरण देकर सिद्धान्त को स्पष्ट किया जाता है, जैसे संज्ञा पढ़ाते समय पहले परिभाषा के रूप में यह बताया जाता है कि 'किसी वस्तु, व्यक्ति, या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं।' इसके उपरान्त मोहन, हिमालय, दिल्ली आदि के उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि में 'सामान्य से विशिष्ट या नियम से उदाहरण की ओर' शिक्षण सूत्रों का अनुवर्तन किया जाता है। यह विधि अमनोवैज्ञानिक, तथा अरुचिकर है। शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त 'ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म' तथा 'अंश से पूर्ण' आदि के विपरीत हैं। इस विधि में छात्र सिद्धान्तों तथा परिभाषाओं को रटने में जितना ध्यान देता है, उतना भाषा प्रयोग की शुद्धता पर नहीं।

4.6.4 आगमन विधि

यह विधि निगमन विधि की उलटी विधि है। इस विधि में बालक के समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर उनके विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धान्त निकलवाए जाते हैं। व्याकरण के नियमों को रटने की अपेक्षा तर्कपूर्ण प्रणाली से उदाहरण के विश्लेषण से शिक्षार्थी स्वयं उन्हें जान लेता है। इस प्रणाली में "विशेष से सामान्य की ओर" तथा "स्थूल से सूक्ष्म की ओर" शिक्षण सूत्रों को प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण छात्रों के अनुभव से ही दिए जाते हैं। जैसे संज्ञा का ज्ञान कराने के पहले कक्षा के ही छात्रों की सहायता से उदाहरणों की एक सूची बना दी जाती है। इन नामों को समानता के आधार पर तीन वर्गों - व्यक्ति, स्थान और वस्तु में विभाजित कर दिया जाता है। फिर छात्रों से ही इस प्रकार के शब्दों को एक नाम देने के लिए कहा जाता है और उनकी ही राय से इसे संज्ञा नाम दिया जाता है। इस के अनन्तर शिक्षार्थियों को सारी स्थिति के आधार पर एक नियम बनाने के लिए कहा जाता है। शिक्षक शिक्षार्थियों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करता है। अन्त में छात्रों से प्राप्त नियम को श्यामपट्ट पर लिख शिक्षक परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप देता है।

यह विधि शिक्षण-सिद्धान्तों के अनुरूप होने के कारण मनोवैज्ञानिक तथा रुचिकर होती है। इस विधि से प्राप्त व्याकरण का ज्ञान व्यावहारिक तथा सार्थक होता है।

4.6.5 विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि

आगमन विधि के अन्तर्गत दो विधियों का प्रयोग अन्तर्भूत है - विश्लेषण विधि एवं संश्लेषण विधि।

आगमन विधि से उदाहरण प्राप्त कर लेने के अनन्तर शिक्षक शिक्षार्थयों के सहयोग से उनका विश्लेषण करवाता है जैसे दीर्घ संधि का नियम सिखाते समय हिमालय उदाहरण का विश्लेषण निम्न-लिखित प्रकार से किया जाएगा :

प्रश्न : हिमालय पद किन-किन शब्दों के मेल से बना है?
उत्तर : हिम + आलय

प्रश्न : हिम शब्द के अन्त में क्या स्वर है?
उत्तर : 'अ'

प्रश्न : आलय शब्द में प्रथम स्वर क्या है?
उत्तर : 'आ'

इसी प्रकार वाचनालय एवं भोजनालय पदों का विश्लेषण करवाया जाएगा।

विश्लेषण विधि के अनंतर संश्लेषण विधि का कार्य आरम्भ होता है। विश्लेषण विधि में जिन तथ्यों को फैलाया गया है उन को समानता के आधार समेटना या इकट्ठा करना संश्लेषण कहलता है। इस संश्लेषण के आधार पर ही सामान्यीकरण होता है और बाद में नियम का निर्माण होता है। जैसे :

प्रश्न : अ + आ को मिलाकर क्या परिवर्तन हुआ?
उत्तर : आ

निष्कर्ष : अ + आ को मिलाकर आ होता है। अर्थात् अ + आ = आ

इस प्रकार इस विधि निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाता है :

उदाहरण, तुलना, विश्लेषण, संश्लेषण, सामान्यीकरण, नियमीकरण या निष्कर्ष, प्रयोग तथा अभ्यास। विश्लेषण का ज्ञान कराने के लिए निम्नलिखित उदाहरण दे सकते हैं :

1. मैंने **मीठा** आम खाया।
2. मेरी **दो** बहिनें हैं।
3. यहाँ **लाल** फूल खिले हैं।

इन उदाहरणों के आधार पर प्रश्नों द्वारा शिक्षार्थियों से विश्लेषण कराया जाता है। यथा

प्रश्न 1 : प्रथम वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है।
उत्तर : आम

प्रश्न 2 : दूसरे वाक्य में बहिनों की कितनी संख्या है।
उत्तर : दो

प्रश्न : तीसरे वाक्य में फूलों का कैसा गुण बताया गया है।
उत्तर : लाल

इस विश्लेषण के बाद निष्कर्ष के रूप में सामान्यीकरण इस प्रकार किया जाता है। 'इन वाक्यों में मीठा, दो एवं लाल शब्द आम, बहिनें तथा फूल संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अत: ये शब्द विशेषण हैं।' इस सामान्यीकरण के आधार पर शिक्षार्थियों के सहयोग से यह नियम निकलवाया जा सकता है - "जिन शब्दों द्वारा संज्ञा की विशेषता या गुण प्रकट होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं।'' इस परिभाषा के आधार पर शिक्षार्थी स्वयं उदाहरण छाँट कर नियमों का व्यावहारिक प्रयोग करना सीख सकता है।

4.6.6 पाठ संसर्ग विधि

आपको पहले बताया जा चुका है कि कुछ शिक्षा-शास्त्री व्याकरण की औपचारिक शिक्षा देना उचित नहीं समझते। उनका मत है कि हम भाषा पाठ के समय यथा अवसर तथा यथाप्रसंग

शिक्षार्थियों को व्याकरण बिन्दु स्पष्ट करते चलें। ऐसी विधि को पाठ संसर्ग विधि या भाषा संसर्ग विधि कहा जाता है इस विधि को समन्वय या समवाय विधि भी कहा जाता है। यह विधि आगमन विधि के अधिक निकट है। इसके अनुसार व्याकरण की शिक्षा अलग से देने की अपेक्षा वह रचना शिक्षण एवं गद्य शिक्षण के साथ-साथ यथाप्रंसग होती रहती है। इस विधि की यह विशेषता है कि किसी सिद्धान्त या परिभाषा को समझाने के लिए उदाहरण किसी अन्य स्थान से न लेकर पाठ्य पुस्तक पढ़ाते समय आए उदाहरणों को आधार बना शिक्षार्थियों के सहयोग से नियम निकलवाया जाता है तथा छात्रों को पुष्टि हेतु उदाहरण देने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक में आए उदाहरण की सहायता से व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं। पढ़े हुए पाठ से समन्वित कर व्याकरण के नियमों को समझने में स्वाभाविकता अधिक होती है।

यद्यपि समवाय विधि और आगमन विधि में काफी साम्य है तथापि दोनों में सूक्ष्म अन्तर है। आगमन विधि में उदाहरण बालक के अनुभव के आधार पर बताकर परिभाषा निकलवाई जाती है जबकि समवाय विधि में उदाहरण पढ़ाए जा रहे पाठ से लिए जाते हैं। दोनों में छात्र परिभाषा पर स्वत: पहुंचते हैं। अत: उनमें व्याकरण शिक्षण के प्रति जिज्ञासा एवं रुचि बनी रहती है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण में उपर्युक्त सभी विधियों का यथावसर प्रयोग किया जाना चाहिए।

व्यावहारिक व्याकरण द्वारा शिक्षण किया जाना ही उपयुक्त है। भाषा प्रयोग का पर्याप्त अभ्यास हो जाने पर ही भाषा संसर्ग विधि या पाठ संसर्ग विधि द्वारा व्याकरण का शिक्षण सहज होगा। व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन-निगमन विधि अधिक उपयुक्त है। इसमें नियम रटने नहीं पड़ते अपितु छात्र तर्कपूर्ण विवेचन द्वारा स्वयं निकालते हैं। व्याकरण शिक्षण को रोचक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। अभ्यास एवं प्रयोग सरस एवं रुचिकर होने चाहिए जिन्हें खेल विधि द्वारा सिखाया जा सके। यथा लिंग परिवर्तन, संज्ञा से विशेषण बनाना, वाक्य परिवर्तन करना, एकवचन से बहुवचन बनाना आदि के लिए खेलों का आविष्कार किया जा सकता है।

वस्तुत: कक्षा की परिस्थितियों के अनुसार अवसर के अनुकूल व्याकरण शिक्षण विधियों का चयन कर भाषा के शुद्ध रूपों के शिक्षण से शिक्षार्थियों के भाषा व्यवहार का परिष्कार किया जा सकता है।

बोध प्रश्न

4. सही कथन के आगे चिन्ह (✓) लगाएं।

जब हमें किसी भाषा के प्रयोग के संबध में भ्रम हो, तो उसका समाधान हो सकता है :

क) साहित्य अध्ययन द्वारा ( )

ख) कहानी के द्वारा ( )

ग) व्याकरण के द्वारा ( )

घ) दृश्य-श्रव्य साधनों के द्वारा ( )

5. व्याकरण-शिक्षण के किन्ही चार उद्देश्यों को लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. व्याकरण शिक्षण की विधियों के नाम लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.7 पाठ विकास प्रक्रिया

व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि आगमन विधि है, जिसमें उदाहरणों एवं प्रयोगों द्वारा नियमीकरण एवं अभ्यास द्वारा इन नियमों की पुष्टि का प्रयास किया जाता है। कक्षा-शिक्षण में इस दृष्टि से निम्नांकित सोपान अपनाए जाते हैं :

- विशिष्ट उद्देश्य - प्रकरण के अनुसार उद्देश्यों का निर्धारण।
- प्रस्तावना - उपयुक्त उदाहरणों तथा उन पर आधारित प्रश्नों का उल्लेख।
- प्रस्तुतीकरण - शिक्षार्थियों के साहयोग से अध्याप्य प्रकरण के लिए अपेक्षित उदाहरणों का संग्रह।
- विश्लेषण - उदाहरणों का विश्लेषण प्रश्नोत्तर द्वारा।
- संश्लेषण - नियमीकरण तक पहुंचने के लिए शब्दों का संलिष्ट रूप प्रस्तुत करना, समानता के आधार पर समान्यीकरण।
- नियमीकरण - उपयुक्त तुलना एवं व्याख्या द्वारा छात्रों से नियम निष्कर्ष या परिभाषा निकलवाना।
- प्रयोग एवं अभ्यास - शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान के परीक्षण के रूप में नवीन परिस्थितियों में नियम का प्रयोग करना। नए उदाहरणों की खोज।
- मूल्यांकन - विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा।
- गृहकार्य - व्याकरण के नियम तथा उदाहरण की समझ का प्रयोग।

बोध प्रश्न

7. ठीक कथन पर सही (✓) का चिह्न लगाइये।
'स्थूल से सूक्ष्म' की ओर सूत्र किस विधि में प्रयुक्त होता है।

क) सिद्धांत विधि ( )

ख) आगमन विधि ( )

ग) निगमन विधि ( )

घ) पाठ संसर्ग विधि ( )

8. आगमन एवं निगमन विधि में मूलभूत क्या अन्तर है? सात पंक्तियों में उत्तर दें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.8 सारांश

इस इकाई में हमने सीखा है कि व्याकरण-शिक्षण शब्दानुशासन तथा शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा के लिए आवश्यक है। भाषा प्रयोग का समुचित अभ्यास हो जाने के बाद व्याकरण शिक्षण अधिक उपयुक्त है। व्याकरण के सैद्धान्तिक नियमों की जगह व्यावहारिक रूप की शिक्षा देना अधिक उचित है। व्याकरण शिक्षण के सबंध में तीन प्रकार के दृष्टिकोण हैं : एक उसे अनावश्यक मानता है, दूसरा भाषा ज्ञान के लिए उसे आवश्यक, तीसरा सैद्धान्तिक की अपेक्षा व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता मानता है।

व्याकरण शिक्षण की विधियाँ हैं - सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन विधि, निगगन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि तथा भाषा संसर्ग विधि। पाठ विकास की प्रक्रिया के सोपान हैं - पूर्वज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतीकरण, उदाहरण, तुलना एवं विश्लेषण, नियमीकरण, प्रयोग और अभ्यास तथा गृहकार्य।

व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण सरल तथा रुचिकर ढंग से किया जाए तो खेल-खेल में ध्वनियों का ज्ञान, उच्चारण, वर्तनी शब्द-रचना, शब्द-प्रयोग, वाक्य-रचना, वाक्य के विविध रूपों का प्रयोग, विराम चिन्ह आदि की शिक्षा उपयोगी है।

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. i) आचार्य किशोरी दास वाजपेयी

   ii) कामता प्रसाद गुरु

   iii) रामचन्द्र वर्मा

2. (ii) , (iii)

3. उच्चारण, वर्तनी, संधि, समास, प्रत्यय

4. (ग)

5. 1) भाषा रचना का ज्ञान, 2) वाक्य में शब्द समूहों के अन्तर का स्पष्टीकरण, 3) भाषा नियमों का परिचय, 4) शब्द-प्रयोग के कौशल का विकास।

6. सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि।

7. (ख) , (घ)

8. आगमन में उदाहरण से नियम की ओर और निगमन में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। उदाहरण देकर उत्तर स्पष्ट करें।

4.10 उपयोगी पुस्तकें

लहरी, रजनीकांत	:	हिन्दी शिक्षण, रस्तोगी एण्ड कम्पनी मेरठ
तिवारी, डॉ. भोलानाथ	:	हिन्दी भाषा, किताबमहल, इलाहाबाद
वाजपेयी, आचार्य किशोरी दास	:	हिन्दी शब्दानुशासन
श्रीवास्तव, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	:	हिन्दी शिक्षण, बी 147 अमर कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली-24
सिंह, डॉ. निरंजन कुमार	:	माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

4.11 पाठ योजना

कक्षा - आठवीं
अवधि - 40 मिनट

विषय - हिन्दी
प्रकरण - द्वंद्व समास

विशिष्ट उद्देश्य

- शिक्षार्थी द्वंद्व समास को पहचान सकेंगे।
- वे द्वंद्व समास की परिभाषा तथा उदाहरण बता सकेंगे।
- वे द्वंद्व समास का अपनी भाषा में आत्मविश्वासपूर्वक उपयोग कर सकेंगे।

सहायक सामग्री

द्वंद्व समास के पदों का चार्ट एवं कक्षापयोगी सामान्य उपकरण।

पूर्वज्ञान

शिक्षार्थी सुख-दुख, यश-अपयश, माता-पिता, रात-दिन जैसे शब्दों से परिचित हैं।

प्रस्तावना

शिक्षक छात्रों के समक्ष निम्नलिखित वाक्य प्रस्तुत करते हुए प्रश्न पूछेगा :

वाक्य 1. सुख-दुख को समान समझना चाहिए।

2. देशभक्त यश-अपयश की चिन्ता नहीं करते।

प्रश्न-क : प्रथम वाक्य में रेखांकित पद में कितने शब्द हैं, और कौन-कौन से?

उत्तर : दो, सुख और दुख

प्रश्न-ख : द्वितीय वाक्य में रेखांकित पद में कितने शब्द हैं, और कौन-कौन से?

उत्तर : दो, यश एवं अपयश

प्रश्न-ग : सुख-दुख: के बीच से कौन-सा पद लुप्त है?

उत्तर : और

प्रश्न-घ : यश-अपयश के बीच से कौन-सा पद लुप्त है?

उत्तर : और

प्रश्न-ङ : और शब्द का जहां लोप हो वहां कौन-सा समास होगा?

उद्देश्य कथन : आज हम इस प्रकार के उदाहरणों में प्रयुक्त समास का अध्ययन करेंगे।

प्रस्तुतीकरण : शिक्षक श्यामपट्ट पर निम्नलिखित वाक्य लिखकर पाठ को प्रस्तुत करेगा।

वाक्य 1. : माता-पिता का कहना मानो।

प्रश्न-क : इस वाकय में कौन-सा सामासिक पद है?

उत्तर : माता-पिता

प्रश्न-ख : माता-पिता के बीच से कौन-सा पद लुप्त है?

उत्तर : और

वाक्य 2. : रात-दिन ईश्वर का स्मरण करो।

प्रश्न-क : इस वाक्य में सामासिक पद कौन-सा है।

उत्तर : रात-दिन

प्रश्न-ख : रात-दिन के बीच से कौन-सा पद लुप्त है?

उत्तर : और

शिक्षक कथन: इस विश्लेषण से हम देखते हैं कि इन शब्दों को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। आप अपनी-अपनी पुस्तिका पर इन शब्दों के दोनों रूप लिखें जैसे सुख-दुख - सुख और दुख। शिक्षार्थियों द्वारा अपनी पुस्तिका पर लिख चुकने के बाद शिक्षक उनसे पूछकर सभी उदाहरणों के दोनों रूप श्यामपट्ट पर लिखेगा।

सुख-दुख : सुख और दुख

यश-अपयश : यश और अपयश

माता-पिता : माता और पिता

रात-दिन : रात और दिन

शिक्षक - (श्यापट्ट पर लिखे समासयुक्त पदों की ओर संकेत करते हुए) इन उदाहरणों में हमें क्या समानता दिखाई देती है।

शिक्षार्थी - सभी उदाहरण दो पदों से बने हैं, तथा उनको जोड़ने वाले योजक पद 'और' का लोप हो गया है।